रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2000/माघ 12, 1921
No. 12] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2000/MAGHA 12, 1921

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2000

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंध, विमान परिवहन सेवाओं का भूमि पर संचलन के लिए प्रवेश) विनियम, 1999

का. आ. 9.2.3.—भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) के खण्ड 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंधक, विमान परिवहन सेवाओं का भूमि पर संचलन) विनियम, 1984 और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंध, विमान परिवहन सेवाओं का भूमि पर संचलन के लिए प्रवेश) विनियम, 1989 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना—

   1. इन विनियमों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंध, भूमि पर संचलन सेवाओं के लिए प्रवेश) विनियम, 1999 कहा जाएगा।
   2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
   3. ये विनियम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित सभी हवाई अड्डों और सिविल एंकलेवों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

क. ''एप्रन'' का अभिप्राय यात्रियों तथा/अथवा सामान को चढ़ाने तथा/अथवा उतारने, ईंधन लेने अथवा अनुरक्षण के प्रयोजनों के लिए विमान की पार्किंग करने हेतु विमानक्षेत्र के विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है;

ख. ''प्राधिकरण'' से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का निदेशक मंडल अभिप्रेत है;

ग. ''अध्यक्ष'' से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

घ. ''सिविल एंकलेव'' से संघ के किसी सशस्त्र बल से संबंधित हवाई अड्डा पर आबंटित किए गए क्षेत्र से, यदि कोई हो, अभिप्रेत हैं, जिसका व्यक्तियों द्वारा किसी विमान परिवहन सेवा का ऐसे हवाई अड्डे से इस्तेमाल करने अथवा बैगेज या कार्गो को ऐसी सेवा द्वारा संभालने हेतु उपयोग किया जाता है और इसमें इस तरह के क्षेत्र की भूमि व उस पर भवन व संरचना शामिल है।

ङ ''भूमि संचलन'' से अभिप्राय है :

1. विनियम के उपाबंध ''क'' में विनिर्दिष्ट गतिविधियों सहित रेम्प संचलन;
2. विनियम के उपाबंध ''ख'' में विनिर्दिष्ट गतिविधियों सहित यातायात संचलन;

3. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की गई अन्य कोई गतिविधि चाहे वह रेम्प संचलन हों या यातायात संचलन ;

च. ''युक्ति चालन क्षेत्र'' का अभिप्राय (एप्रन को छोड़कर) हवाई अड्डे/विमानक्षेत्र/सिविल एंकलेव के उस भाग से है जिसे विमानों के उड़ान भरने/लैंडिंग/टैक्सिंग के लिए प्रयोग किया जाता है।

छ. ''संचलन क्षेत्र'' का अभिप्राय हवाई अड्डे/विमानक्षेत्र/सिविल एंकलेव के उस भाग से है जिसे युक्तिचालन क्षेत्र और एप्रन सहित विमान के सतही संचलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

ज. ''राष्ट्रीय वाहक'' से अभिप्राय नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वाहक के रूप में मनोनीत वाहक या कोई एयरलाइन है।

झ. ''टर्मिनल भवन'' से अभिप्राय हवाई अड्डे/सिविल एंकलेव के उस क्षेत्र या भवन से है जिसे यात्रियों के चढ़ने-उतरने और/अथवा उनकी जांच प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है।

3. प्रचालक या वाहक हवाई अड्डे पर भूमि पर संचलन सेवाएं या तो स्वयं करेंगे या निम्नलिखित में से किसी की सेवाएं लेंगे :

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
2. दो राष्ट्रीय वाहक-एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस
3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त अन्य कोई हैण्डलिंग एजेंसी।

4. किसी हवाई अड्डे/सिविल एंकलेव पर टर्मिनल भवन/संचलन क्षेत्र में भूमि पर संचलन सेवाएं उपलब्ध करने या किसी वाहन या अन्य उपकरण के प्रचालन हेतु प्रवेश और ठहरना निम्नानुसार तक सीमित होगा :

क. प्रचालक या विमान (विमानों) के मालिक या उनका वास्तविक पूर्णकालिक कर्मचारी या अपने विमान के संचलन के लिए विनियम 3 के अंतर्गत प्राधिकृत की गई कोई एक मनोनीत एजेंसी;

ख. अन्य कोई प्रचालक या एजेंसी जो या जिसे प्राधिकरण द्वारा उनके वास्तविक पूर्णकालिक कर्मचारियों के माध्यम से भूमि पर संचालन गतिविधियों के लिए लिखित रूप में विशेषकर अनुमति दी गई हो;

ग. राष्ट्रीय वाहकों के वास्तविक पूर्णकालिक कर्मचारी या उनके द्वारा विनियम 3 के अंतर्गत प्राधिकृत की गई मनोनीत कोई एक एजेंसी;

घ. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का वास्तविक पूर्णकालिक कर्मचारी या प्राधिकृत की गई मनोनीत एक एजेंसी।

5. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का बोर्ड प्रत्येक हवाई अड्डे के संबंध में सुरक्षा, संरक्षा, मांग, उपलब्ध अवसंरचना, भूमि और अन्य संगत विचार को ध्यान में रखते हुए भूमि संचलन एजेंसी के लिए (वित्तीय सहित) निबंधन व शर्तें, पात्रता मापदण्ड (वित्तीय व तकनीकी दोनों) निर्धारित करेगा व नियुक्त की जाने वाली एजेंसियों की संख्या निर्धारित करेगा।

6. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो किसी या सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा के आधार पर बैगेज सामान की किसी अथवा सभी मदों के संचलन पर यथावश्यक प्रतिबंध लगा सकेगा।

7. इनमें से किसी भी विनियम का उल्लंघन अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई किसी अन्य कार्रवाई (यों) के अतिरिक्त, समय-समय पर संशोधित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में यथा उपलब्ध जुर्माने के रूप में दंडनीय होगा।

धर्म वीर गुप्ता, अध्यक्ष

[विज्ञापन-3/4/असाधारण/158/99]

उपाबंध—'क'

रैप संचलन

1. **विमान संचलन**

1.1 एटेंडेंस

1.2 क्रम बन्धन

1.3 ठहराना

1.4 चालू करना

1.5 सुरक्षा उपाय

1.6 विमान मूरिंग

2. **विमान से संबंधित सेवाएं**

2.1 ईंधन डालने-निकालने हेतु सम्पर्क

2.2 आपूर्तिकर्ताओं से तेल व अन्य द्रवों की आपूर्ति हेतु सम्पर्क

2.3 केबिन उपस्कर

2.4 नेमी व गैर-नेमी सेवाएं

2.5 शीतन व तापन

3. **विमान की सफाई**

3.1 बाहरी सफाई

3.2 आन्तरिक सफाई

3.3 प्रसाधन सेवा

3.4 पानी संबंधी सेवा

4. **सामान चढ़ाना/उतारना**

4.1 यात्री सामान उतारना/चढ़ाना

4.2 यात्री सामान का यानान्तरण

4.3 सामान उतारने/चढ़ाने वाले उपस्कर का प्रचालन

4.4 यात्री सीढ़ियां/पुल लगाना/हटाना

4.5 यात्रियों का विमान पर चढ़ाना/उतारना

4.6 सामान का/की विसर्जन/पूर्ति करना

4.7 यात्रियों व चालक दल को बस में बिठाना

4.8 भारी मात्रा में माल चढ़ाना/उतारना

5. **कार्गो संचलन सेवाएं**

5.1 विमान से आयात, निर्यात व यानान्तरण
सामान चढ़ाना और उतारना

5.2 डाक संचलन सेवाएं

5.3 कार्गो संचलन के लिए आवश्यक उपस्कर का प्रचालन/उपलब्ध व व्यवस्था करना

5.4 कार्गो का यानान्तरण

5.5 कार्गो का प्रपट्टिकाकरण/(पेलेटाइजेशन)/कंटेनर में रखना

5.6 कार्गो कंटेनर/यूनिट लोड डिवाइस का विसर्जन/पूर्ति करना

5.7 भारी मात्रा में माल चढ़ाना/उतारना

6. सुरक्षा

6.1 पंजीकृत सामान कार्गो/विमान/संचलन उपस्करों की निगरानी

6.2 विमान की सुरक्षा/मार्गस्थ निरीक्षण

6.3 लेडर पाइंट चैक के लिए सुरक्षा/निगरानी

6.4 खानपान की वस्तुओं की सुरक्षा

स्पष्टीकरण :—विनियम 3 के अधीन एजेंसियों द्वारा दी गई सुरक्षा सेवा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की अनुमति के अधीन होगी।

टिप्पणी :—प्राधिकरण से उक्त विनियमों के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् कोई अन्य कार्य करना।

उपाबंध—'ख'

यातायात संचलन

1. **टर्मिनल सेवाएं**

1.1 संचलन दस्तावेज तथा भार नियंत्रण

1.2 हवाई अड्डा टर्मिनलों पर यात्री तथा सामान संचलन

1.3 हवाई अड्डा टर्मिनलों पर कार्गो संचलन सेवाएं

1.4 हवाई अड्डा टर्मिनलों पर डाक संचलन सेवाएं

1.5 यात्री चेक-इन समस्त हवाई अड्डे पर यातायात सेवाएं

2. उड़ान प्रचालन

2.1 उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में वाहक को उसके विमान के संबंध में प्रचालनात्मक सेवाएं तथा सुविधाओं को प्रभावित करने वाली ज्ञात परियोजना से अवगत कराना।

2.2 प्रस्थान के हवाई अड्डे पर उड़ान की तैयारी

2.3 प्रस्थान के हवाई अड्डे से भिन्न एक बिन्दू पर उड़ान की तैयारी

2.4 उड़ान के दौरान सहायता

2.5 उड़ान के पश्चात् गतिविधियां

2.6 उडान के दौरान री-डिस्पैच

2.7 भूमि संचलन से संबंधित संचार व्यवस्था

2.8 सामग्री संचलन

3. भूतल परिवहन

3.1 एक ही हवाई अड्डे पर प्रथक टर्मिनलों के बीच यात्रियों/सामान तथा कार्गो के लिए परिवहन की व्यवस्था

3.2 हवाई अड्डे तथा शहर या अन्य स्वीकृत बिन्दूओं के बीच यात्रियों/कर्मीदल के लिए परिवहन की व्यवस्था करना

4. प्रतिनिधि कारक सेवाएं

4.1 स्थानीय प्राधिकारियों से सम्पर्क

4.2 संबंधित पार्टियों, वाहक विमान की गतिविधियों की सूचना देना

4.3 सभी हवाई अड्डों पर वाहकों की ओर से भुगतान संवितरण

4.4 पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक सेवाएं

5. सुरक्षा

5.1 पंजीकृत सामान, एक्स-रे स्कैन चैक (सामान एवं कार्गो)

5.2 निगरानी/हवाई अड्डे पर सामान मेक अप/ब्रेक अप पर पंजीकृत सामान के लिए सतर्कता

5.3 सामान की पहचान/पंजीकृत सामान की निगरानी

स्पष्टीकरण :—विनियम 3 के अधीन ऐजेंसियों द्वारा दी गई सुरक्षा सेवा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरों की अनुमति के अधीन होगी।

टिप्पणी :—प्राधिकरण से उक्त विनियमों के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् कोई अन्य कार्य करना।

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2000

No. SEC. 9.2.3.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994) and in supersession of International Airports Authority of India (General Management, Ground Handling of Air Transport Services) Regulations, 1984 and National Airports Authority (General Management, Entry for Ground Handling of Air Transport Services) Regulations, 1989, the Airports Authority of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :

1. Short title, commencement and application :

(1) These regulations may be called the Airports Authority of India (General Management, Entry for Ground Handling Services) Regulations, 2000.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall apply to all Airports and Civil Enclaves managed by Airports Authority of India.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires :

(a) "apron" means a defined area of the Airport Enclave intended to accommodate aircraft for purpose of loading and/ or unloading of passengers and/or cargo refuelling, parking or maintenance;

(b) "Authority" means the Board of Directors of Airports Authority of India;

(c) "Chairman" means Chairman of the Airports Authority of India;

(d) "Civil Enclave" means the area, if any, allotted at Airport belonging to any armed force of the Union, for use by the persons availing of any air transport service from such airport or for the handling of baggage or cargo by such service, and includes land comprising of any building and structure on such area;

(e) "Ground Handling" means

(i) ramp handling and will include activities as specified in Annexure 'A' to the Regulations;

(ii) traffic handling and will include activities as specified in Annexure 'B' to the Regulations;

(iii) any other activity designated by the Chairman to any part either of ramp handling or traffic handling.

(f) "Manoeuvring Area" means that part of Airport/Aerodrome/Civil Enclave to be used for take off/landing/taxing of aircraft excluding apron;

(g) "Movement Area" means part of any Airport/Aerodrome/Civil Enclave intended for surface movement of aircraft including the manoeuvering area and apron;

(h) "National Carriers" means any airline or carrier designated as National Carrier by the Ministry of Civil Aviation, Government of India;

(i) "Terminal Building" means the building or area of the Airport/Civil Enclave which is used for embarkation/disembarkation and/or processing of passengers.

3. An operator or carrier may either carry out ground handling services at an airport by itself or engage the services of any of the following :

(i) Airports Authority of India

(ii) The two national carriers Air India & Indian Airlines

(iii) Any other handling agency licensed by the Airports Authority of India.

4. Entry into and remaining in the movement area/terminal building at any airport/civil enclave for providing ground handling services or for operating any vehicle or other equipment shall be restricted to :

(a) the operator or the owner of aircraft(s) or his bonfide whole time employees or any of the designated agency under Regulation 3 authorised by it for handling its own aircrafts;

(b) any other Operator or Agency who or which has been specially permitted in writing by the Authority to undertake ground handling activities through their bonafide whole time employees;

(c) the bonafide whole time employees of National Carriers or any of the designated agencies under Regulation 3 authorised by them;

(d) the bonafide whole time employees of Airports Authority of India or a designated agency authorised by it.

5. The Board of AAI will lay down terms and conditions (including financial consideration), eligibility criteria for ground handling agency (both financial and technical) and number of such agencies to be appointed at each airport keeping in view the safety, security, demand, available infrastructure, land and other relevant consideration.

6. Bureau of Civil Aviation Security may impose such restrictions as may be necessary in case of any or all items of baggage goods handling at any or all airports on grounds of security.

7. Contravention of any of these regulations will be punishable with a fine as provided in the Airports Authority of India Act, 1994 as amended from time to time besides any other action(s) as may be decided by the Chairman.

[ADVT/3/4/Extraordinary/158/99]

D.V. GUPTA, CHAIRMAN

ANNEXURE 'A'

RAMP HANDLING

1. AIRCRAFT HANDLING

1.1 Attendance

1.2 Marshalling

1.3 Parking

1.4 Starting

1.5 Safety Measure

1.6 Mooring of Aircraft

2. AIRCRAFT SERVICING

2.1 Liaison for Fuelling and Defuelling

2.2 Liaison with suppliers for Replenishing of oil and other fluids

2.3 Cabin Equipment

2.4 Routine & Non-Routine services

2.5 Cooling & heating

3. AIRCRAFT CLEANING

3.1 Exterior Cleaning

3.2 Interior Cleaning

3.3 Toilet service

3.4 Water service

4. LOADING/UNLOADING

4.1 Load/unload passenger baggage

4.2 Transhipment of passenger baggage

4.3 Operation of loading/unloading equipment

4.4 Positioning and removing of passenger stairs/bridges

4.5 Emplane/deplane passengers

4.6 Break/make-up of baggages

4.7 Bussing of passengers/crew

4.8 Bulk loading/unloading of baggage

5. CARGO HANDLING SERVICES

5.1 Load and off load, export, import and transhipment cargo from the aircraft

5.2 Mail handling services

5.3 Operate/provide/arrange essential equipments for handling of cargo

5.4 Transhipment of Cargo

5.5 Palletisation/containerisation of Cargo

5.6 Break/make-up of cargo container/unit load device

5.7 Bulk loading/unloading

6. SECURITY

6.1 Watch and ward of registered baggage/cargo/aircraft and handling equipment

6.2 Aircraft security/inspection in transit

6.3 Security/surveillance for ladders point check

6.4 Security for catering items

Explanation : Security services by agencies under Regulation 3 will be subject to BCAS clearance.

Note : To undertake any other work with the prior approval of the Authority under the said Regulations.

ANNEXURE 'B'

TRAFFIC HANDLING

1. TERMINAL SERVICES

1.1 Handling documents and load control

1.2 Passenger and baggage handling at the airport terminals

1.3 Cargo handling services at the airport terminals

1.4 Mail handling services at the airport terminal

1.5 Traffic services at the airport terminals including passenger check-in

2. FLIGHT OPERATIONS

2.1 Inform the carrier of any known project effecting the operational services and facilities made avialable to its aircraft in the areas of responsibility

2.2 Flight preparation at the airport of departure

2.3 Flight preparation at a point different from the airport of departure

2.4 In-flight assistance

2.5 Post flight activities

2.6 In-flight re-despatch

2.7 Communication system associated with Ground Handling

2.8 Material handling

3. SURFACE TRANSPORT

3.1 Arrangements for the transportation of passengers/baggages and cargo between separate terminals at the same airport

3.2 Arrangements for passenger/crew transport together with their baggage between airport and city or other agreed points

4. REPRESENTATIONAL SERVICES

4.1 Liaison with local authorities

4.2 Information to interested parties, movement of the carrier aircraft

4.3 Disbursement of payment on behalf of the carriers at all airports

4.4 Supervision and administration services

5. SECURITY

5.1 Registered baggage X-ray scan check (baggage and cargo)

5.2 Surveillance/vigilance for registered baggage at baggage make-up/break-up area of the airport

5.3 Baggage identification/watch and ward of registered baggage

Explanation : Security services by agencies under Regulation 3 will be subject to BCAS clearance.

Note : To undertake any other work with the prior approval of the Authority under the said Regulations.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.